झारखण्ड सरकार

## नगर विकास एवं आवास विभाग

## अधिसूचना

**संख्या–01/सा0स्था0 (नीति)–8/2016.....4960** **राँची, दि0–06/09/16**

पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के केन्द्रीय अधिनियम–7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015' में संशोधन करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ एवं विस्तार :–

(1) इस नियमावली को "झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) संशोधन नियमावली, 2016" कहा जायेगा।

(2) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

(3) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

2. नियम 26 के बाद नियम 27 को निम्न प्रकार जोड़ा जाता है :–

नियम 27 – नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कठिनाई की दशा में आवश्यक समाधान जारी करने की आवश्यकता पड़ती है, तो नगर विकास एवं आवास विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

नियमावली के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

6.9.16

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

**ज्ञापांक– 01/सा0स्था0 (नीति)–8/2016.......4960......** **राँची, दि0–06/09/16**

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.9.16

सरकार के प्रधान सचिव।

**ज्ञापांक– 01/सा0स्था0 (नीति)–8/2016.......4960......** **राँची, दि0–06/09/16**

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, शहरी विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.9.16

सरकार के प्रधान सचिव।

rk_adhisuchna_des_rahul_62